राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3670/2024

दुर्गा सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, (प्रारंभिक शिक्षा) बीकानेर (राज.)।
4. जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, बारां (राज.)।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, बारां (राज.)।
6. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद, जिला दौसा (राज.)।
7. पी.ई.ई.ओ. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Semlifatak, ब्लॉक शाहबाद, जिला बारां (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2024

आदेश की दिनांक : 18.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेमलीफाटक, ब्लॉक शाहबाद, जिला बारां में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Ougad, ब्लॉक शाहबाद, जिला बारां में किया गया है। आदेश दिनांक 14.11.2024 की पालना में अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 के बिंदु शर्त संख्या 15 में पदस्थापन के संबंध में यह स्पष्ट अंकित है कि उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, उसी ग्राम में पद रिक्त होने पर, उसी ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर, ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर पदस्थापित किया जावे। साथ ही यह भी कथन है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय कार्मिक है और उक्त विभाग राजस्थान पंचायती राज विभाग के अधीन विभाग है, जिसमें जिला संस्थापन समिति की अनुमति आवश्यक है, परंतु अपीलार्थी के पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में जिला संस्थापन समिति द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई है और इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानांतरण आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेमलीफाटक, ब्लॉक शाहबाद, जिला बारां में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Ougad, ब्लॉक शाहबाद, जिला बारां में किया गया है। आदेश दिनांक 14.11.2024 की पालना में अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है। जहां तक जिला संस्थापन समिति द्वारा बिना अनुमति के आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरित किये

जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध शालादर्पण पर विद्यालय में रिक्त पदों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस ब्लॉक में अपीलार्थी कार्यरत है, उसी ब्लॉक के अन्य विद्यालय में पद रिक्त हैं, परंतु फिर भी अपीलार्थी को एक ग्राम से दूसरे ग्राम में स्थानांतरित किया गया है, जो आदेश दिनांक 14.11.2024 के बिंदु शर्त संख्या 15 के विपरीत जाकर स्थानान्तरण किया गया है, आलोच्य आदेश में जिला संस्थापन समिति की अनुमति का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष